न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिलकुमार, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 04 / 2018

मोहनराम बनाम **सुगन कंवर आदि**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: आदेश :– **दिनांकः– 15.06.2018**

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सार यह है कि यह कि प्रार्थी के कब्जे, हक, अधिकार व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 140 रकबा 4.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है जिसे आगे प्रार्थना–पत्र में प्रश्नगत आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

यह कि प्रश्नगत खसरा नम्बर 140 रकबा 4.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है जो प्रार्थी के कब्जे, हक अधिकार व खातेदारी की भूमि है जिसके उतरी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 ता 21 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 141, 142 / 1, 142 / 2, वाके ग्राम बठोठ है उक्त भूमियों में प्रार्थी की भूमि में जाने लिये संलग्न नक्शें में दर्शित ए से बी स्थान से रास्ता मौके पर अवस्थित है जिसको आवागमन हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कटाणी रास्ता किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे प्रार्थी अपने पशुधन, उटगाड़ी लाने ले जाने से सुविधाजनक हो सकें तथा उक्त रास्तें के अलावा प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता विद्यमान नहीं है, अप्रार्थी संख्या 2 ता 20 व प्रार्थी एक ही परिवार के है तथा इनकी आराजियात भी पैतृक वंशानुगत की है। इस कारण अप्रार्थीगण के खेत के अलावा कही ओर से रास्तें का उजर भी नहीं किया जा सकता तथा वर्तमान में प्रार्थी इसी रास्तें से आवागमन करता है।

यह कि प्रार्थी प्रश्नगत खसरा नम्बर 140 रकबा 4.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है में आने जाने का रास्ता कदीमी है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कटानी नहीं है तथा उक्त खसरा नम्बर 140 के मौके पर भी कोई रास्ता नहीं लगता है, जबकि प्रार्थी के पशुधन, उंट गाड़ी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है ऐसी स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में कटानी रास्ता किये जाने के आदेश फरमाये जाने आवश्यक है।

यह कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 140 रकबा 4.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है में आवागमन के रुप में कदीमी रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 141, 142 / 1, 142 / 2, में से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित ए से बी स्थान से होता हुआ प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 140 प्रवेश करता है। जो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाया जाना आवश्यक है।

यह कि आवेदन माननीय न्यायालय हाजा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है। यह कि आवेदन उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है। यह कि अन्य तर्क वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगें।

अतः आवेदन मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के हक, अधिकार व खातेदारी की प्रश्नगत खसरा नम्बर 140 रकबा 4.3500 हैक्टेयर वाके ग्राम बठोठ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर में अवस्थित है में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 141, 142 / 1, 142 / 2,वाके ग्राम बठोठ में से संलग्न नजरी नक्शे में दर्शित ऐ से बी स्थान से होता हुआ प्रार्थी खेत खसरा नम्बर 140 में प्रवेश करता है को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी व नक्शा ट्रेस में अंकन किये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये गये एवं प्रकरण में तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को रिपोर्ट हेतु लिखा गया। प्रकरण अप्रार्थीगण की तलबी में है। इसी दौरान पत्रावली आज राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प बठोठ में पेश हुई। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट के बाद प्रकरण में शेष अप्रार्थीगण की तलबी का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। उक्त रिपोर्ट का गहनता से अवलोकन किया। जिसमें अंकित किया है कि ''प्रार्थी / आवेदक की भूमि के नजदीक ख.नं. 149 / 1, 149 / 2 लगता है। उक्त ख.नं. में आवेदन नहीं किया गया है। अतः दावा खारिज किया जाना उचित है।'' जिससे यह प्रकरण आरटीए धारा 251(क) का प्रतीत नहीं हो रहा है। साथ ही केम्प स्थल पर राज पेराकार एवं पटवार हल्का से विवादित खसरान से संबंधित संपूर्ण राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी खसरा गिरदावरी रिकॉर्ड मय नक्शा वास्ते अवलोकन हेतु तलब किया गया। कैम्प स्थल पर ही मज्में–आम से उक्त विवादित रास्ते के बारे में पूछताछ की गई। प्रस्तुत रिकॉर्ड व नक्शों के अवलोकन से जाहिर है कि वर्तमान में मौके पर प्रार्थी की रास्ता की मांग धारा 251(क) आरटीए के अनुसार नहीं होने से अनुतोष दिया जाना न्यायोचित प्रतीत

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं होता है। जिसकी ताईद तलब राजस्व रिकॉर्ड, प्रस्तुत तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ की रिपोर्ट एवं संबंधित दस्तावेजों से होती है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण में प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता की मांग का पक्ष सबल नहीं है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सारहीन होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र औचित्यपूर्ण नहीं पाया जाता है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को कैम्प कोर्ट बठोठ में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– बठोठ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official